न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या–79/2022 धारा 144 द०प्र०सं०

खिरोधर मंडल..प्रथम पक्ष

बनाम्

बहादुर मंडल..द्वितीय पक्ष

आदेश

8/09/22 दिनांक 8/09/22 .... अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत। यह वाद अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के खिरोधर मंडल बनाम द्वितीय पक्ष के बहादुर मंडल को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द०प्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

मौजा–पडरमनियॉं, थाना–बिरनी, जिला–गिरिडीह अंतर्गत,

1. खाता नं०–29, प्लॉट नं०–1061, रकवा–0$\frac{2}{3}$ डी०, प्लॉट सं०–1062, रकवा–0$\frac{2}{3}$ डी०, प्लॉट सं०–1063, रकवा–0$\frac{2}{3}$ डी०, प्लॉट सं०–1064, 0 $\frac{2}{3}$ डी०, प्लॉट सं०–1065, रकवा–0 $\frac{2}{3}$ डी०, प्लॉट सं०–1066, रकवा–0 $\frac{2}{3}$ डी० सम्मिलात केवाला में दर्ज चौहद्दीः उ०–नीज मोकिर अल्हैय, द०–नीज मोकिर अल्हैय, पू०–नीज मोकिर अल्हैय, प०–नीज मोकिर अल्हैया।
2. खाता नं०–29, प्लॉट नं०–1062, रकवा–0.84 डी०, चौहद्दीः उ०+द०–नीज खरीददार, पू०–रास्ता, प०–नीज खरीददार।
3. प्लॉट सं०–1065, रकवा–01 डी०, चौहद्दीः उ०–रास्ता, द०–नीज खरीददार, पू०–रास्ता, प०–नीज खरीददार।

उभय पक्ष अनुपस्थित।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों व अंचल अधिकारी, बिरनी के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.11.03 11:39:09 +05:30
Location: 192.168.1.7

8/09/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

8/09/22

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।